



भारत सरकार

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं०:-06432-232680 फ़ैक्स-06432-232967 ई-मेल:-dcdeoghar@gmail.com

आदेश

झारखण्ड में कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव, रोकथाम एवं इसके संभावित प्रसार को रोकने के लिये सम्पूर्ण तालाबन्दी (Lock Down) की घोषणा की गई है। इस दौरान गरीब, मजदूर तबके एवं लॉक डाउन से प्रभावित दूर दराज क्षेत्र के व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा जिला प्रशासन को मुहैया कराना है।

इस परिप्रेक्ष्य में अनेकों समाजसेवी एवं दातागण स्वेच्छा से खाद्य सामग्रियों यथा गेहूँ चावल एवं अन्य राशन सामग्री आदि सहयोग स्वरूप दान देना चाहते हैं। इस प्रकार के दान दिये गए खाद्य सामग्रियों के संग्रहण हेतु अनुमण्डल स्तर पर दो फूडग्रेन बैंक (Foodgrain Bank) की स्थापना निम्नप्रकार से चिन्हित की गई है:-

देवघर अनुमण्डल - इन्डोर बैडमिंटन स्टेडियम, देवघर।

मधुपुर अनुमण्डल - अग्रसेन भवन, मधुपुर।

इच्छुक दाताओं से अनुरोध है कि इस संबंध में खाद्यन्न सामग्री/राशन सामग्री का दान उपरोक्त दोनों स्थानों पर पूर्वाह्न 07:00 बजे से 01:00 बजे अपराह्न की अवधि में देकर अपना सहयोग कर सकते हैं। जिला प्रशासन उपरोक्त सामग्री को संग्रहित कर भविष्य में जरूरतमदों को इससे मदद करेगी।

उपरोक्त फूडग्रेन बैंक के लिये सभी व्यवस्थाओं का अनुश्रवण श्री अजय सिंह बड़ाईक, जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला नजारत उप समाहर्ता, देवघर करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर दोनों फूडग्रेन बैंको में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे जो दान दिये गए सामग्रियों का वजन कराकर पंजीकृत करते हुए जमा करायेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर एवं मधुपुर दोनों फूडग्रेन बैंक में एक-एक लिपिक एवं दो-दो अनुसेवकों को अपने स्तर से प्रतिनियुक्त करेंगे जो सामग्रियों को सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, देवघर कृपया दोनों फूडग्रेन बैंक में सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक-376/गो०,

देवघर, दिनांक 29 मार्च, 2020 ई०।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, देवघर/अपर समाहर्ता, देवघर/अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर/जिला नजारत उप समाहर्ता, देवघर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर/सारठ/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।